(वाद सं0.-204/4/26/2021)

30.06.2021

प्रसंगाधीन मामला एक 09 वर्षीय बच्ची(संतोषी उर्फ सगुन) का बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर उसके शव को बक्सा में बंद करने के संबंध में संजय रधुबर, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी विकास पार्टी, बिहार, पटना, के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, रोहतास** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन धटना के संबंध में भा0द0स0 की धाराओं–376(ए) /376(बी)/302/201 के अंतर्गत डालमियानगर थाना कांड संख्या–888/2020, दिनांक–15.11.2020 संस्थित किया गया है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार " **उक्त कांड के अभिलेखों के अवलोकन एवं जॉच के कम में पाया गया है कि कांड की पीड़िता संतोषी उर्फ सगुन के शव को बरामद करने के पश्चात विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है तथा विधिवत पीड़िता संतोषी उर्फ सगुन के शव को उनके परिवार के सदस्यों को सुपूर्द किया गया है तथा उसके शव को उनके परिवार के लोगों के द्वारा ही अग्नि संस्कार किया गया है। जहॉ तक मृतिका को सनातन धर्म के अनुसार बच्चों की मृत्यु होने पर कब्र खोदकर शव को दफन नहीं कराया गया तो मृतिका के परिवार के लोगों एवं उसके स्थानीय लोगों के द्वारा भुल किया जाना प्रतीत होता है। इसमें पुलिस की भुमिका पर टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है।**

परिवाद पत्र में अभियुक्त के विरूद्ध कार्रवाई करने का उल्लेख है। इस संदर्भ में कहना है कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बलराम सिंह,

पिता–स्व0 श्याम नारायण सिंह,सा0–गंगौली, थाना–डिहरीनगर (डालमियानगर ओ0पी0 जिला–रोहतास को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर विधिवत उसका स्वीकोरोक्ति बयान लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा उनके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–585/2020,दिनांक–30.11.2020, धारा–376(ए)/ 376(बी)/ 302/201 भा0द0वि0 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के अर्न्तगत समर्पित किया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध स्पीडी ट्रायल चल रहा है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास पीड़िता के परिवार को मुआवजा हेतु उचित माध्यम से प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

जहॉ तक स्थानीय मुखिया श्री देवानन्द सिंह द्वारा पीड़िता परिवार पर दबाव बनाये जाने की बात का उल्लेख किया गया है, इस संदर्भ में जॉच के कम में स्थानीय लोगों से पूछ–ताछ करने पर बताया गया है कि इस तरह की बात नहीं है आर न ही पीड़िता परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार आवेदक के आवेदन पत्र के कॉलम 4 में अंकित तथ्य बेबुनियाद प्रतीत होता है।''

अब जबकि प्रसंगाधीन कांड में प्राथमिकी अभियुक्त बलराम सिंह के विरूद्ध विचारण न्यायालय मे स्पीडी ट्रायल चल रहा है तथा मुआवजा हेतु नियमानुसार प्रस्ताव संबंधित प्राधिकार को समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले मे कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा

किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक, रोहतास के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, रोहतास** से प्राप्त प्रतिवेदन(अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक